XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 2188–दो/14 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.5.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 2715–दो/12 में पारित आदेश दिनांक 9–08–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

समक्ष मान्नीय राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर

निग. 2188- II/14

राकेश तनय श्री कैलाश विश्वकर्मा,
निवासी चकरपुर तह. ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).......................आवेदक

श्री दिलीप गोस्वामी अभि.
द्वारा आज दि. 21-7-14 को
प्रस्तुत

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

21.7.14 क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्निवलोकन आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व सहिता 1959

उपरोक्त आवेदक श्रीमान् न्यायालय के प्रकरण क्र. आर–2715/II/12 में पारित आदेश दिनॉक 09.08.12 से दुखित होकर यह पुर्निवलोकन आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुतकर्ता है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि आवेदक ने श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 18.07.11 के विरूद्ध निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की थी जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना दिये बगैर निगरानी बिना रिकार्ड तलब किये प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने का विवादित आदेश दिनांक 09.08.12 पारित कर दिया। जिससे दुखित होकर यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिलीप गोस्वामी (एड) 21/7/14

पुर्निवलोकन के आधार

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि आवेदक को श्रीमान् न्यायालय द्वारा आदेश की कोई जानकारी नहीं दी गई। जबकि आवेदक एवं नियुक्त अधिवक्ता दो वर्षो से प्रकरण को ढूंढ रहे थे बार–बार न्यायालय में आकर जानकारी चाही गई किंतु प्रकरण ना तो खारिजी पंजी में था एवं ना ही किसी पेशी में नियत था जब नियुक्त अधिवक्ता द्वारा परेशान होकर शिकायत सचिव महोदय के समक्ष लिखित में दिनांक 04.07.14 को प्रस्तुत की तब प्रकरण खारिजी आदेश में होना जानकारी हुई।

4. यह कि उपरोक्त प्रकरण में श्रीमान् न्यायालय द्वारा यह आधार लिया है कि आवेदक ने बिना कलेक्टर से उपरोक्त विवादित भूमि क्रय की है जबकि किसी ग्राम के अन्य भी प्रकरण इसी आधार के थे जिसमें श्रीमान् न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित कर विक्रय सही पाते हुए कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है।

5. यह कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रकरण को ग्राहयता के बिंदु पर ही खारिज करने का विवादित आदेश पारित किया है। जबकि सर्वप्रथम श्रीमान् न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड को तलब करना था तदुपरांत ही आदेश पारित करना था इस कारण से पारित आदेश निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्निवलोकन आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण–दोषो पर किये जाने की कृपा करें।

ग्वालियर
दिनांक :– 21–07–14

द्वारा–दिलीप गोस्वामी (एड.)
आवेदक